

प्रधान आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE, JAIPUR
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu-cgst.ipr@gov.in (केंद्र कंट्रोल यूनिट) **Telefax: 0141-2385813**

फा.सं. ग-31(02)सीसीयू/जेपीआर/2023/446

दिनांक: 13/06/2023

ज्ञापन (MEMORANDUM)

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान पी.बी.-2 रु. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु. 4600/- {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु 44900-142400 में लेवल 7 (Level-7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400)} एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. (गुप-ब, अराजपत्रित) के पद पर अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate S/Sh/Ms.	Date of Birth	Category	Appointment Order No. & Date
1	SAGAR SINGH INDA	21-03-1998	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82909 DT.12.06.2023
2	VISHNU GAHLOT	29-08-1995	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82920 DT.12.06.2023
3	HARISH PRAJAPAT	01-07-2000	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82922 DT.12.06.2023
4	MAHEEP JANGID	28-06-1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82923 DT.12.06.2023
5	RAHUL KUMAR	10-07-1999	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82943 DT.12.06.2023
6	BHARAT KUMAR	01-10-1998	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82948 DT.12.06.2023
7	SUHANI RATNAWAT	01-07-1997	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82958 DT.12.06.2023
8	LALIT YADAV	07-01-1996	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82962 DT.12.06.2023
9	KULDEEP SINGH	08-12-2001	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82965 DT.12.06.2023
10	SMRITI MISHRA	17-10-1994	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82967 DT.12.06.2023
11	PRASANT POONIA	02-11-2000	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82971 DT.12.06.2023
12	ANUJ SHARMA	11-09-1998	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82973 DT.12.06.2023
13	ATUL GOYAL	18-07-1997	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82975 DT.12.06.2023
14	SHIVANSH RASTOGI	23-04-1999	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82979 DT.12.06.2023
15	NIMIT MISHRA	23-02-1997	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82982 DT.12.06.2023
16	REETA DEVI	20-08-1994	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82984 DT.12.06.2023
17	SUNIL YADAV	08-03-1998	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82986 DT.12.06.2023
18	JITENDRA KUMAR JAT	14-05-1996	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82987 DT.12.06.2023
19	HITESH CHOUDHARY	07-11-2001	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82989 DT.12.06.2023
20	MANISH KUMAR YADAV	28-08-1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/83001 DT.12.06.2023
21	RAVI SONKRIYA	24-07-1997	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/83004 DT.12.06.2023
22	KULDEEP SINGH	03-06-1998	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/83008 DT.12.06.2023
23	VIVEK KUMAR MEENA	10-07-1990	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/83009 DT.12.06.2023
24	PRAMOD KUMAR MEENA	06-07-1998	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/83010 DT.12.06.2023

25	VISHAL MEENA	01-01-2003	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83011 DT.12.06.2023
26	SUMIT KUMAR MEENA	15-10-1998	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83013 DT.12.06.2023
27	AJIT KUMAR MEENA	14-01-2002	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83017 DT.12.06.2023

उपरोक्त नियुक्ति एनकजर-“अ” में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी :-

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
- उनका निरीक्षक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
- उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परिवीक्षा अवधि उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों (कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढ़ाई जा सकती है: (क) निर्धारित प्रशिक्षण से ना गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण ना होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा ना करना।
- वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं तथा वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए.32022/19/2008-प्रशा.तृतीय.ए दिनांक 19.11.2010 के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवारों की All India Transfer Liability रहेगी।
- यदि वे संलग्न एनकजर-“अ” व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक **12.07.2023** को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:- एनकजर-“अ”

-हस्ता. -

(सी. के. जैन)

प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi - 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/SSC/13/2021-Ad.III B दिनांक 02.05.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
- प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण-जयपुर/अंकेक्षण-जोधपुर/अपील्स-जयपुर/अपील्स-जोधपुर/सीमाशुल्क,जयपुर
- अपर आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
- अधीक्षक(प्रशा./गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु.(जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
- मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक(सत), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
- वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
- निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार
- निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
- महा सचिव, निरीक्षक एसोसिएशन, जयपुर।
- अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

-चेतन जैन

(सी. के. जैन)

प्रधान आयुक्त

प्रधान आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर

CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE, JAIPUR

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu-cgst.jpr@gov.in (केंद्र कंट्रोल यूनिट) Telefax: 0141-2385813

फा.सं. II-31(02)सीसीयू/जेपीआर/2023/529

दिनांक: 13.06.2023

ज्ञापन (MEMORANDUM)

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान पी.बी.-2 रु. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु. 4600/- {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु 44900-142400 में लेवल 7 (Level-7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400)} एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. (ग्रुप-ब, अराजपत्रित) के पद पर अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate S/Sh/Ms.	Date of Birth	Category	Appointment Order No. & Date
1	AMIT CHOUDHARY	13-05-1997	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82910 DT.12.06.2023
2	TUFAIL AHMED QADRI	03-10-1997	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82911 DT.12.06.2023
3	BHARTI PATHAK	31-03-1997	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82912 DT.12.06.2023
4	PRAKASH KUMAWAT	05-07-1995	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82913 DT.12.06.2023
5	JANIT	16-07-1998	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82914 DT.12.06.2023
6	MOHAN SINGH	01-07-1999	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82917 DT.12.06.2023
7	BHUPENDRA SINGH	14-06-1998	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82918 DT.12.06.2023
8	ABHISHEK MEENA	12-11-2000	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82919 DT.12.06.2023
9	VIKRAM SINGH	15-07-1993	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82921 DT.12.06.2023
10	SUNIL YADAV	15-08-1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82941 DT.12.06.2023
11	LOKESH YADAV	05-04-1997	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82944 DT.12.06.2023
12	SIDDARTH SHARMA	16-04-1998	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82946 DT.12.06.2023
13	DINESH PARIHAR	05-09-1997	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82950 DT.12.06.2023
14	PANKAJ SHARMA	11-10-1998	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82951 DT.12.06.2023
15	LAKKEE KUMAR	20-07-2000	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82952 DT.12.06.2023
16	CHARU ARORA	06-10-1998	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82953 DT.12.06.2023
17	VANSHIKA DHINGRA	20-09-1994	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82955 DT.12.06.2023
18	SANDARBH SINGH	03-01-1997	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82959 DT.12.06.2023
19	SHYAM SUNDAR GOYAL	20-01-1999	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82960 DT.12.06.2023
20	AJAY VERMA	02-07-2000	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82961 DT.12.06.2023
21	GAURAV LAKRA	25-12-1996	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82963 DT.12.06.2023
22	SAHIL DAHIYA	22-11-1998	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/82964 DT.12.06.2023

23	MANISH AWASTHI	21-03-1999	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82966 DT.12.06.2023
24	POOJA PAREEK	02-08-1996	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82969 DT.12.06.2023
25	TANYA KHULLAR	18-11-1998	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82974 DT.12.06.2023
26	AKASH KUMAR GUPTA	01-12-1998	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82977 DT.12.06.2023
27	MANISH SHARMA	06-09-1995	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82978 DT.12.06.2023
28	ABHIJEET AWANA	02-09-1995	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82981 DT.12.06.2023
29	KAMLESH KUMAR	28-03-1997	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82983 DT.12.06.2023
30	JAIDEEP	10-02-1993	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82990 DT.12.06.2023
31	DINESH JITERWAL	02-02-1995	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82992 DT.12.06.2023
32	KRISHAN KUMAR YADAV	24-06-1998	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82994 DT.12.06.2023
33	ROHIT	16-11-1995	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82995 DT.12.06.2023
34	PRASHANT SHARMA	03-12-1998	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82997 DT.12.06.2023
35	MONIKA KUMARI	04-12-1997	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82998 DT.12.06.2023
36	ABHISHEK KUMAWAT	04-03-1998	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/82999 DT.12.06.2023
37	LOKENDRA MEENA	31-03-1998	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83002 DT.12.06.2023
38	UMMED VERMA	26-12-1995	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83003 DT.12.06.2023
39	VIKRAM KARELA	20-04-1998	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83005 DT.12.06.2023
40	VISHAL KHINCHI	02-01-1997	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83006 DT.12.06.2023
41	VINOD KUMAR	15-07-1996	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83007 DT.12.06.2023
42	SATISH KUMAR MEENA	21-02-1996	ST	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83012 DT.12.06.2023
43	LALIT GARG	13-02-1997	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83014 DT.12.06.2023
44	KALPANA TEPAN	29-07-1998	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83015 DT.12.06.2023
45	RAKESH KUMAR BUNKAR	03-10-1988	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83016 DT.12.06.2023
46	SOMIL KAPAHI	25-12-1998	UR/ PH-SLD	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ INSPECTOR/83019 DT.12.06.2023

उपरोक्त नियुक्ति एनकजर-“अ” में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी :-

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
- उनका निरीक्षक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
- उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों (कुल परिवीक्षा की

अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढ़ाई जा सकती है: (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करना।

5. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं तथा वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए.32022/19/2008—प्रशा.तृतीय.ए दिनांक 19.11.2010 के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवारों की All India Transfer Liability रहेगी।
6. यदि वे संलग्न एनकजर—“अ” व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक **12.07.2023** को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:— एनकजर—“अ”

—हस्ता. —
(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—

1. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/SSC/13/2021-Ad.III B दिनांक 02.05.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर
3. अपर आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
4. अधीक्षक(प्रशा./गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु.(जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
5. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक(सत), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
7. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार
8. निजी पत्रावली / सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड / वरीयता सूची।
9. महा सचिव, निरीक्षक एसोसिएशन, जयपुर।
10. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जेतन जैन
(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त

प्रधान आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर

CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSONERATE, JAIPUR

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu-cgst.ipr@gov.in

(केंद्र कंट्रोल यूनिट)

Telefax: 0141-2385813

फा.सं. 11-31(02)सीसीयू/जेपीआर/2023/ 567

दिनांक: 13.06.2023

जापन (MEMORANDUM)

निम्नलिखित उम्मीदवार को वेतनमान पी.बी.-2 रु. 9300-34800 तथा ग्रेड वेतन रु. 4600/- {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु 44900-142400 में लेवल 7 (Level-7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400)} एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. (ग्रुप-ब, अराजपत्रित) के पद पर अस्थायी नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:-

S. No.	Name of Candidate S/Sh	Date of Birth	Category	Appointment Order No. & Date
1	MUKESH AGARWAL	07-06-1984	UR (PH-MI)	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/83018 DT.12.06.2023

उपरोक्त नियुक्ति एनक्जर-"अ" में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तों के अनुसार रहेगी :-

- उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।
- उनकी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति अस्थायी (provisional) रहेगी क्योंकि उनकी दिव्यांगता की श्रेणी MI (Mental Illness) वर्तमान में बोर्ड स्तर पर जांच के अधीन लम्बित है। अतः तब तक उनकी निरीक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं बोर्ड के MI (Mental Illness) श्रेणी की वैधता पर लिये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
In terms of Para-6 of CBIC's letter F. No. A-12034/SSC/13/2021-Ad.III B dated 02.05.2023, his appointment is provisional as further decision taken on MI (Mental Illness) category is under examination currently.
- उनका निरीक्षक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
- उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार उनकी परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियों (कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं) के अनुसार बढ़ाई जा सकती है: (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करना।
- वह राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं तथा वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए.32022/19/2008-प्रशा.तृतीय.ए दिनांक 19.11.2010 के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवार की All India Transfer Liability रहेगी।

7. यदि वह संलग्न एनक्जर—“अ” व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करता हो तो दिनांक **12.07.2023** को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्न:— एनक्जर—“अ”

— हस्ता. —

(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—

1. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Gr. Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R.K.Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/SSC/13/2021-Ad.III B दिनांक 02.05.2023 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर
3. अपर आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
4. अधीक्षक(प्रशा./गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु.(जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
5. मु.ले.अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी/प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक(सत), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
7. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार
8. निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
9. महा सचिव, निरीक्षक एसोसिएशन, जयपुर।
10. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

चेतन जैन

(सी. के. जैन)
प्रधान आयुक्त